पंजीकृत

-2

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,

षष्ठ मण्डल, लखनऊ / सदस्य सचिव

सेवा में,

सचिव,

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,

शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,

प्रीति बिहार, नई दिल्ली

पत्र संख्या-नि0-2/एन०ओ०सी०/ 5504-11/2015-16 दिनांक 01/01/3015 विषय- सेठ एम0आर0 जयपुरिया स्कूल बंसल कैम्पस सीतापुर रोड, लखनऊ को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड, नई

दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में। महोदय.

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए सूचित करना है कि शासनादेश संख्या–1916/15–7–09–1(299)/2007 दिनांक 14 जुलाई 2009 द्वारा माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं को कौसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, (आई०सी०एस०ई०) नई दिल्ली/सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन, (सी0बी0एस0ई0) नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में आयुक्त लखनऊ मण्डल लखनऊ की अध्यक्षता में बॉय सर्कुलेशन बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार सेठ एम03एर0 जयपुरिया स्कूल बंसल कैम्पस सीतापुर रोड, लखनऊ को सेन्ट्रल बोर्ड आफ संकेण्डरी एजूकेशन (सी0बी0एस0ई0) नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत करने में आपत्ति नहीं है।

- विद्यालय की पंजीकृत समिति का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा। 2.
- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के 3. लिए सुरक्षित रहेंगे और उनमें उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद / बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा।
- संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मॉग नही की जायेगी। 4.
- संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के 5. कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेगे। कर्मचारियों की सेवा-विनियमावली बनायी जायेगी और उन्हे सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर 6.
- माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा। शासन/प्रशासन/विभाग द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश/निर्देश निर्गत किये जायेंगे, संस्था 7. उनका पालन करेगी।
 - विद्यालय के अभिलेख निर्धारित प्रपन्न पंजिकाओं में रखे जायेंगे। 8.

Jaipuria school

5.5

मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.04.2009 के अनुपालन में विद्यालय द्वारा सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त होने के पूर्व, यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विद्यालय का भवन नेशनल बिल्डिंग कोड में प्राविधानित सुरक्षा. मानकों के अनुरूप है एवं उसमें अग्निशमन यन्त्र स्थापित हो चुका है तथा स्टाफ अग्निशमन उपायों हेतु भलीभॉति प्रशिक्षित है। 10. उपर्युक्त शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन नही किया

उपर्युक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जायेगा। जाता है कि संस्था द्वारा उपर्युक्त प्रतिबन्धों का पालन नही किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

श्रीमती (सुत्ता सिंह) संयुक्त शिक्षा निदेशक, षष्ठ मण्डल, लखनऊ/सदस्य सचिव

/2015-16 दिनांक उक्तवत् पृ०सं०-नि०-2/एन०ओ०सी०/ 5504-11 प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

- 1. प्रमुख सचिव, (माध्यमिक शिक्षा), उत्तर प्रदेश शासन।
- 2. आयुक्त लखनऊ मण्डल लखनऊ।
- 3. जिलाधिकारी लखनऊ।
- शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ। 5.
- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- प्रबन्धक, सेठ एम0आर0 जयपुरिया स्कूल बंसल कैम्पस सीतापुर रोड, लखनऊ। 21 8. गार्ड फाइल

ぞう

hit.

श्रीमती (सुत्ता सिह) - सिंयुक्त शिक्षा निदेशक षष्ठ मण्डल, लखनऊ / सदस्य सचिव

13

Jaipuria school

i y